रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252356
CG-DL-E-24022024-252356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 807] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945
No. 807] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

सं. 61/2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूचो–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढाना।

का.आ. 846(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023 क्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है–

आईटीसी (एचएस) कोड और विवरण	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07131010 --	क) 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध	क) आयात खेप के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां

पीली मटर	के बिना आयात 'मुक्त' है। आयात खेपों को जहां 31 मार्च, 2024 के बाद सीमा शुल्क विभाग का 'आउट–ऑफ–चार्ज' जारी किया जाता है उसे 'मुक्त' नहीं माना जाएगा। ख) 1 अप्रैल 2024 से, इस अधिसूचना से पहले मौजूद 'प्रतिबंधित' आयात नीति और संबंधित नीतिगत शर्तें लागू होंगी। ग) इस अवधि के दौरान 31 मार्च 2024 तक पीली मटर के सभी प्रकार के आयात की अनुमति होगी, जो आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।	लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 या इससे पहले तिथि का है आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण और लदान बिल की प्रतिलिपी अपलोड करने के आधीन होगा।

2. आयात निगरानी प्रणाली के तहत पीली मटर की खेप के पूर्व पंजीकरण के संबंध में संशोधित प्रक्रियाएं अलग से अधिसूचित की जाएगी।

अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआईपी **शर्त** के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को या इससे पहले जारी किया गया है के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यधीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2 [क]/भाग–VI/ई–9019]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2024

No. 61/2023

Subject: Extension in Import Period for Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy).

S.O. 846(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to Notification No. 50/2023 dated 08.12.2023, the Central Government hereby amends Import Policy conditions for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC(HS), 2022, Schedule –I (Import Policy) as under–

ITC(HS) Code & Description	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
07131010-- Yellow Peas	a) Import is 'Free' without the MIP condition and without Port Restriction, for the period up to 31st March 2024. Import consignments where Customs out-of-charge is issued after 31st March 2024 shall not be considered as 'Free'. b) With effect from 1st April 2024, the 'Restricted' Import Policy and associated Policy conditions as existing prior to this Notification shall come into force. c) All import of Yellow Peas during this period up to	a) Import is 'Free' without the MIP condition and without Port Restriction, for Import consignments where **Bill of Lading (Shipped on Board) has been issued on or before 30th April 2024**. b) Imports where Bill of Lading (Shipped on Board) is issued after 30th April 2024 shall be 'Restricted' and associated Import Policy Conditions as existing prior to DGFT Notification 50/2023 dated 08.12.2023 shall come into force. c) All Import of Yellow Peas where Bill of Lading

	31st March 2024 shall be allowed subject to compulsory registration under the Import Monitoring System.	(Shipped on Board) is dated on or before 30th April 2024 shall be subject to compulsory registration and uploading the copy of Bills of Lading under the Import Monitoring System.

2. Revised Procedures in regard to prior registration of Yellow Peas consignments under the Import Monitoring System shall be notified separately.

Effect of the Notification: Import of Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 is "Free" without the MIP condition and without Port Restriction, subject to registration under the Import Monitoring system, with immediate effect for all Import Consignments where Bill of Lading (Shipped on Board) is issued on or before 30th April 2024.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA